भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2751

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

उदय का कार्यान्वयन

2751. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ओडिशा के जिलों सहित राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले सहित राज्य-वार कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) डिस्कॉम्स को लाभकारी निकायों में परिवर्तित करने में मदद करने के लिए कितने राज्यों ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को अपनाया है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उदय के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर,2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पूरे देश में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दिनांक 28 अप्रैल 2018 को सभी आवासीय गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। पूरे देश, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, में आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव, जो विद्युतीकृत हो गए हैं, की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल बीपीएल घरों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। ओडिशा राज्य के जगतसिंगपुर जिले में डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत कुल 84,242 घरों (81088 बीपीएल और 3154 एपीएल घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ग) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट के लिए दिनांक 20-11-2015 को शुरु की गई इस स्कीम का उद्देश्य राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करना है। कुल 32 राज्य/संघ राज्य उदय स्कीम में शामिल हुए हैं, जिनमें से 16 राज्य

असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने प्रचालनात्मक के साथ-साथ वित्तीय कायापलट के लिए उदय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल प्रचालनात्मक कायापलट के लिए शामिल हुए। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को केवल एक राज्य के रूप में गिना गया है क्योंकि हस्ताक्षरित उदय समझौता ज्ञापन एक राज्य के लिए है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं चंडीगढ़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में शामिल नहीं हुए।

(घ) : उदय को उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय कायापलट के समग्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने समग्र सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93% की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्तीय वर्ष 2016 में 0.48 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटे से वित्तीय वर्ष 2020 में 0.30 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटे की कमी शामिल है। एटीएंडसी हानि और एसीएस-एआरआर अंतरों पर राज्यों के निष्पादन के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-III और अनुबंध-IV** में दिए गए है।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 17.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 17.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

शामिल किए गए बीपीएल घर

क्रम सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	729553
2	अरुणाचल प्रदेश	8291
3	असम	782370
4	बिहार	3385597
5	छत्तीसगढ़	163551
6	गुजरात	5060
7	हरियाणा	5419
8	हिमाचल प्रदेश	43
9	जम्मू एवं कश्मीर	53666
10	झारखंड	675174
11	कर्नाटक	369626
12	केरल	136193
13	मध्य प्रदेश	1047133
14	महाराष्ट्र	386498
15	मणिपुर	48799
16	मेघालय	2639
17	मिजोरम	1915
18	नागालैंड	60701
19	ओडिशा	1629495
20	पंजाब	0
21	राजस्थान	410604
22	सिक्किम	5271
23	तमिलनाडु	23496
24	तेलंगाना	539306
25	त्रिपुरा	82019
26	उत्तर प्रदेश	2127011
27	उत्तराखंड	7251
28	पश्चिम बंगाल	81939
29	दादरा एवं नगर हवेली	0
30	पुद्दुचेरी	0
कुल		**12768620**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 17.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटी एंड सी हानियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	24.04	24.05	22.15	22.57	21.73
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़ (गैर-उदय संघ राज्य क्षेत्र)			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा एवं नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन एवं दीव			17.01	6.19	4.07
गोवा	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	16.23	14.42	12.96	13.99	11.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.83	17.59
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
ओडिशा (गैर-उदय राज्य)	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुद्दुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर-उदय राज्य)	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	12.44	10.80	9.36	8.28	8.00
दिल्ली	12.44	10.80	9.93	9.17	8.19
गुजरात			6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल			10.74	8.95	9.06
कुल जोड़	**23.70**	**23.66**	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 17.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

टैरिफ सब्सिडी आधार पर प्राप्ति (रूपये/किलोवाट घंटे) एसीएस-एआरआर अंतर

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	0.50	0.39	0.32	0.54	0.35
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.67	(0.19)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.92
चंडीगढ़ (गैर-उदय संघ राज्य क्षेत्र)			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा एवं नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन एवं दीव			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.06)	(0.02)	(0.06)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू एवं कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	0.01	0.29	0.30	0.24	0.39
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	0.87	0.18	0.78	1.29	0.69
महाराष्ट्र	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
ओडिशा (गैर-उदय राज्य)	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पुद्दुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	0.50	(0.09)	0.06	0.31
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	0.74	1.23	1.12	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.45	0.54	0.34
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल (गैर-उदय राज्य)	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	(0.10)	(0.16)	(0.44)	(0.38)	(0.48)
दिल्ली	(0.10)	(0.16)	(0.19)	(0.26)	(0.37)
गुजरात			(0.50)	(0.26)	(0.52)
महाराष्ट्र				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल			(0.93)	(0.99)	(0.94)
कुल जोड़	**0.48**	**0.37**	**0.28**	**0.49**	**0.30**

****